



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 4, 2019/माघ 15, 1940

No. 532]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 4, 2019/MAGHA 15, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2019

का.आ. 649(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (अ) के उप-खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि निम्नलिखित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ विदेशी स्रोत नहीं माना जाएगा:—

- (i) एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)
- (ii) न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)
- (iii) यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट (ईबीआरडी)

[फा. सं. II/21022/23(78)/2018-एफसीआरए-III]

अनिल मलिक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2019

S.O. 649(E).—In exercise of the power conferred by sub-clause (ii) of clause (j) of sub-section (1) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) the Central Government hereby specifies that the following international organisations shall not be treated as 'foreign source' for the purposes of the said Act, namely,—

- (i) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
- (ii) New Development Bank (NDB)
- (iii) European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

[F. No. II/21022/23(78)/2018-FCRA-III]

ANIL MALIK, Jt. Secy.